

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांकः—तम्बा०नि०का०/काउन्सलिंग/2021–22 / २३४९—५८

दिनांक— 15.06.2021

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती।
2. समर्त अधीक्षक सामू०स्वा०केन्द्र श्रावस्ती।
3. समर्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा०स्वा० केन्द्र श्रावस्ती।

विषयः—एन०सी०डी० कार्यक्रमो के साथ संचालित अन्य कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर द्वारा रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ०2020—21४८९२१ लखनऊ दिनांक—10.06.2021 के क्रम में जैसा कि आप अवगत है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होती है। प्रदेश 35.5 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। तम्बाकू सेवन से टीबी, व अन्य कई प्रकार के गैरसंचारी रोगों के होने की सम्भावना अधिक हो जाती है। उक्त को दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में सी०ओ०टी०पी०ए०—2003 का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति लोगों को जागरूक किये जाने अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये जनजगरकता आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विगत 31 मई 2021 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस को “बउउपज जव फनपज” कैम्पेन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनमानस को तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ दिलाये जाने के साथ ही प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सार्वजनिक रथानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लगायी गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

उक्त के कम में आप समर्त को निर्देशित किया जाता है, कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सालयों में स्थापित कोविड हेल्प डेर्स, तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र, एन०सी०डी० क्लीनिक, मनकक्ष, टी०बी० क्लीनिक, एच०आई०वी० एडस व अन्य कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर से रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग करवाते हुये सूचना जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के इमेल आई०डी—[cmoswti@nic.in](mailto:cmoswti@nic.in) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
श्रावस्ती।

पत्रांकः—तम्बा०नि०का०६ काउन्सलिंग / 2021–22 /

दिनांकित—

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी /अध्यक्ष एन्टी टोबैको सेल श्रावस्ती।
3. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० वांलण्टरी हेल्प एसोशिएशन लखनऊ।
4. जिला क्षय रोग अधिकारी श्रावस्ती।
5. अध्यक्ष आई०एम०ए० श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित कि जनपद में संचालित समर्त प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउन्सलर द्वारा रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग करवाने हेतु एवं सूचना जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन, इकाई, एन०एच०एम० श्रावस्ती।
7. अभिलेखार्थ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
श्रावस्ती।

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांकः—तम्बा०नि०का०/ काउन्सलिंग/ 2021–22 /

दिनांक— 15.06.2021

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिता संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती।
2. समस्त अधीक्षक सामूहिकोन्ड्र श्रावस्ती।
3. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रांस्वां केन्द्र श्रावस्ती।

विषयः—एन०सी०डी० कार्यक्रमो के साथ संचालित अन्य कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर द्वारा रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ २०२०—२१४९२१ लखनऊ दिनांक—१०.०६.२०२१ के क्रम में जैसा कि आप अवगत है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग १३ लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होती है। प्रदेश ३५.५ प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। तम्बाकू सेवन से टीबी, व अन्य कई प्रकार के गैरसंचारी रोगों के होने की सम्भावना अधिक हो जाती है। उक्त को दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में सी०आ०टी०पी०ए०—२००३ का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति लोगों को जागरूक किये जाने अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये जनजगरकता आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विगत ३१ मई २०२१ को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस को “बउउपज जव फनपज” कैम्पेन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनमानस को तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ दिलाये जाने के साथ ही प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लगायी गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

उक्त के कम में आप समस्त को निर्देशित किया जाता है, कि आप अपने अधीनस्थ चिकित्सालयों में स्थापित कोविड हेल्प डेर्स्क, तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र, एन०सी०डी० क्लीनिक, मनकक्ष, टी०बी० क्लीनिक, एच०आई०वी० एडस व अन्य कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर से रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग करवाते हुये सूचना जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के ईमेल आई०डी—[cmoswti@nic.in](mailto:cmoswti@nic.in) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
श्रावस्ती।

पत्रांकः—तम्बा०नि०का०६ काउन्सलिंग/ २३४९-५८  
दिनांक—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी /अध्यक्ष एन्टी टोबैको सेल श्रावस्ती।
3. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० वांलटी हेल्प एसोशिएशन लखनऊ।
4. जिला क्षय रोग अधिकारी श्रावस्ती।
5. अध्यक्ष आई०एम०ए० श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित कि जनपद में संचालित समस्त प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउन्सलर द्वारा रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग करवाने हेतु एवं सूचना जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन, इकाई, एन०एच०एम० श्रावस्ती।
7. अभिलेखार्थ।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
श्रावस्ती।

वक.

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समरत मुख्य चिकित्साधीकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:— राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2020-21/ ८३२। लखनऊ/ दिनांक ०७-०६-२०२

विषय:—जनपद स्तर पर एन०सी०डी० कार्यक्रमों के साथ संचालित अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर द्वारा रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि हमारे देश में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के कारण हर वर्ष 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। प्रदेश में लगभग 35.5% लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या युवा वर्ग है, तम्बाकू सेवन से टीवी, व अन्य कई प्रकार के गैरसंचारी रोगों के होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में सी०ओ०टी०पी०ए०-२००३ का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किये जाने, अन्य सम्बन्धित विभागों से सम्बन्ध स्थापित करते हुए जनजागरूकता, प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

जैसा कि विगत 31 मई, 2021 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस को “Commit to Quit” कैम्पेन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनमानस को तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ दिलाये जाने के साथ ही प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप अपने अधीनस्थ जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्थापित कोविड हेल्प डेर्स्क, तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र, एन०सी०डी० क्लीनिक, मनकक्ष, टी.बी. क्लीनिक व अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर तथा प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउन्सलर द्वारा रुटीन परामर्श के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु काउन्सलिंग करवाते हुए सूचना जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
 निदेशक (स्वास्थ्य)  
 तददिनांक

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2020-21/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—(ई-मेल के माध्यम से)

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।
3. उपमहाप्रवन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
4. रामरत जिला नोडल अधिकारी, एन०सी०डी०/एन०टी०सी०पी०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त प्राप्त सूचना को जनपद स्तर पर संकलित कर राज्य स्तर पर प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० वॉलटरी हेल्प एसोसिएशन, लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)